(2.2) + आरक्षण नियम

2.1.2 Average percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy) during the last five years (exclusive of supernumerary seats) (20)

YEAR 1 (2020-2021)						
Programme name	*Number of seats sanctioned*	SC	ST	OBC	Divyangjan	
BA	600	72	192	85	18	
B Com	150	18	48	21	5	
B Sc	*300*	36	96	42	9	
B C A	*120*	14	38	17	4	
D C A	*40*	5	13	6	1	
P G D C A	*40*	5	13	6	1	
MA HINDI	80	10	26	11	2	
MA POLITICAL SCIENCE	80	10	26	11	2	
MA SOCIOLOGY	80	10	26	11	2	
MA ENGLISH	60	7	19	8	2	
MA ECONOMICS	60	7	19	8	2	
MA HISTORY	60	7	19	8	2	
MSW	60	7	19	8	2	
Total	1730	208	554	242	52	1056

YEAR 1 (2019-2020)						
Programme name	*Number of seats sanctioned*	SC	ST	OBC	Divyangjan	
BA	600	72	192	85	18	
B Com	150	18	48	21	5	
B Sc	*300*	36	96	42	9	
B C A	*120*	14	38	17	4	
D C A	*40*	5	13	6	1	
P G D C A	*40*	5	13	6	1	
MA HINDI	80	10	26	11	2	
MA POLITICAL SCIENCE	80	10	26	11	2	
MA SOCIOLOGY	80	10	26	11	2	
MA ENGLISH	60	7	19	8	2	
MA ECONOMICS	60	7	19	8	2	
MA HISTORY	60	7	19	8	2	
MSW	60	7	19	8	2	
Total	1730	208	554	242	52	1056

प्राचार्य,
शासकीय एम. एल. एन. महाविद्यालय
सीपत जिला - बिलासपुर (छ० ग०)

YEAR 1 (2018-2019)					
Programme name	Number of seats sanctioned	SC	ST	OBC	Divyangjan
BA	600	72	192	85	18
B Com	150	18	48	21	5
B Sc	300	36	96	42	9
B C A	120	14	38	17	4
D C A	40	5	13	6	1
P G D C A	40	5	13	6	1
MA HINDI	80	10	26	11	2
MA POLITICAL SCIENCE	80	10	26	11	2
MA SOCIOLOGY	80	10	26	11	2
MA ENGLISH	60	7	19	8	2
MA ECONOMICS	60	7	19	8	2
MA HISTORY	60	7	19	8	2
MSW	60	7	19	8	2
Total	1730	208	554	242	52

1056

YEAR 1 (2017-2018)					
Programme name	Number of seats sanctioned	SC	ST	OBC	Divyangjan
BA	600	72	192	85	18
B Com	150	18	48	21	5
B Sc	300	36	96	42	9
B C A	120	14	38	17	4
D C A	40	5	13	6	1
P G D C A	40	5	13	6	1
MA HINDI	80	10	26	11	2
MA POLITICAL SCIENCE	80	10	26	11	2
MA SOCIOLOGY	80	10	26	11	2
MA ENGLISH	60	7	19	8	2
MA ECONOMICS	60	7	19	8	2
MA HISTORY	60	7	19	8	2
MSW	60	7	19	8	2
Total	1730	208	554	242	52

1056

YEAR 1 (2016-2017)					
Programme name	Number of seats sanctioned	SC	ST	OBC	Divyangjan
BA	600	72	192	85	18
B Com	150	18	48	21	5
B Sc	300	36	96	42	9
B C A	120	14	38	17	4
D C A	40	5	13	6	1
P G D C A	40	5	13	6	1
MA HINDI	80	10	26	11	2
MA POLITICAL SCIENCE	80	10	26	11	2
MA SOCIOLOGY	80	10	26	11	2
MA ENGLISH	60	7	19	8	2
MA ECONOMICS	60	7	19	8	2
MA HISTORY	60	7	19	8	2
MSW	60	7	19	8	2
Total	1730	208	554	242	52

1056

प्राचार्य,
शासकीय एस. एस. एन. महाविद्यालय
मौपत जिला – बिलासपुर (छ0 ग0)

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी ।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क., ख. तथा ग. के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें । निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगें।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointements." का कड़ाई से पालन किया जाए ।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	- 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	- 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	- 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	- 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडैट/एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को	- 15 प्रतिशत

प्राचार्य
श्री सखलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)